(2) वाद-विवाद विधि
(Discussion Method)

आधुनिक शिक्षा बाल-केन्द्रित है। आज का छात्र निष्क्रिय श्रोता ही नहीं बल्कि विषय को सीखने की प्रक्रिया में वह स्वयम् सक्रिय रूप से भाग लेता है। बालक को सक्रिय बनाने के दृष्टिकोण से वाद-विवाद विधि का प्रयोग अत्यन्त लाभदायक सिद्ध होता है। वाद-विवाद विधि शिक्षण की वह विधि है जिसमें शिक्षक और छात्र मिल कर किसी प्रकरण पर अथवा समस्या के सम्बन्ध में स्वतन्त्रतापूर्वक सामूहिक वाद-विवाद में विचारों का आदान-प्रदान करते हैं। जेम्स एम० ली ने वाद-विवाद को स्पष्ट करते हुये लिखा है, "वाद-विवाद एक शिक्षक सामूहिक क्रिया है जिसमें शिक्षक तथा छात्र सहयोगी रूप से किसी समस्या या प्रकरण पर बातचीत करते हैं।"

"Discussion is a educational group activity in which the

teacher and the student co-operatively talk over some problem or topic."

—James. M. Lee

योकम तथा सिम्पसन का विचार है, "वाद-विवाद बातचीत का एक विशिष्ट स्वरूप है। इसमें सामान्य बातचीत की अपेक्षा अधिक विस्तृत एवं विवेकयुक्त विचारों का आदान-प्रदान होता है। सामान्यत: वाद-विवाद में महत्वपूर्ण विचारों एवं समस्याओं को सम्मिलित किया जाता है।"

"Dicussion is a special form of conversation. It is aexchange of ideas of a more reasoned detailedk iud, than that found in ordinary conversation and generally involves the converstion of important ideas and issues."

—Yoakam & Simpson.

नागरिकशास्त्र शिक्षण में वाद-विवाद पद्धति अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होती है। इस विधि के अनुसार शिक्षक बालकों को समस्याएँ दे देता है और वाद-विवाद के लिये वह रूपरेखाओं का निर्माण स्वयं ही करता है। छात्र व्यक्तिगत रूप से दी हुई समस्याओं का अध्ययन घर पर करते हैं और वाद-विवाद के लिए सामग्री को तैयार करते हैं। यह वाद-विवाद औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों ही विधियों द्वारा किया जाता है। इसमें छात्रों को अपने विचारों एवं भावों को व्यक्त करने की पूर्ण स्वतन्त्रता रहती है। सामाजिक समस्याओं के अन्तर्गत जाति-पाँति, छुआ-छूत, बाल-विवाह, नारियों की समाज में स्थिति आदि आती है।

नागरिकशास्त्र शिक्षण में वाद-विवाद के दो रूप प्रयोग में लाये जाते हैं—

(अ) अनौपचारिक वाद-विवाद (Informal Discussion),

(ब) औपचारिक वाद-विवाद (Formal Discussion)।

अनौपचारिक वाद-विवाद के अन्तर्गत छात्र नागरिकशास्त्र की किसी समस्या पर या किसी प्रकरण पर स्वतन्त्रतापूर्वक विचारों का आदान-प्रदान करते हैं। इसके ऊपर किसी प्रकार का बन्धन नहीं होता। अनौपचारिक वाद-विवाद में किसी विधि विशेष को नहीं अपनाया जाता। यद्यपि अध्यापक का नियंत्रण छात्रों पर रहता है परन्तु अपने विचारों को स्पष्ट करने के लिए छात्र किसी प्रकार की औपचारिकता नहीं बरतते। अनौपचारिक वाद-विवाद के हेतु किसी प्रकार की विशेष योजना भी नही कार्यान्वित किया जाता। अध्यापक और छात्र कक्षा में बैठकर नागरिकशास्त्र के किसी विषय अथवा प्रकरण पर किसी भी समय अनौपचारिक रूप से वाद-विवाद कर सकते हैं। नागरिकशास्त्र के औपचारिक वाद-विवाद के अन्तर्गत प्रत्येक कार्य विधिवत ढंग से किया जाता है इसका संचालन पूर्व निर्धारित नियमों या विशिष्ट पद्धति के अनुसार किया जाता है। इस प्रकार के वाद-विवाद के हेतु छात्र स्वयम् सभापति, मन्त्री और अन्य अधिकारी चुनते हैं। विचार-विमर्श में भाग लेने से छात्र इन पदाधिकारियों के निर्देशन में ही अपने कार्यों को सम्पन्न करते हैं। वाद-विवाद में जो भी छात्र भाग लेते हैं वे अपनी प्रत्येक बात अध्यक्ष को सम्बोधित करते हुये कहते हैं। वाद-विवाद के उपरान्त उस पर निष्कर्ष निकाला जाता है और मन्त्री अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।

वाद-विवाद पद्धति के गुण (Merits of Discussion Methods)—नाग-

Scanned with CamScanner

रिकशास्त्र शिक्षण में वाद-विवाद पद्धति निम्नलिखित गुणों के कारण उपयोगी सिद्ध होती है :—

(1) नागरिकशास्त्र शिक्षण की इस पद्धति के द्वारा छात्र शिक्षण प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने वाला बन जाता है। वह स्वयं करके सीखने की ओर प्रेरित होता है।

(2) नागरिकशास्त्र शिक्षण की पद्धति स्वनिर्देशन (Self direction) पर बल देती है।

(3) यह पद्धति छात्रों को मिल-जुलकर कार्य करने का प्रशिक्षण प्रदान करती है। छात्र मिल-जुलकर ही नागरिकशास्त्र से सम्बन्धित विभिन्न तथ्यों का निरीक्षण करते हैं। इससे उनमें सहानुभूति एवं सहयोग की भावना विकसित होती है।

(4) नागरिकशास्त्र शिक्षण की वाद-विवाद पद्धति छात्रों को विषय-वस्तु का चयन एवं संगठन करना सिखाती है। वह छात्रों को अपने भावों एवं विचारों को व्यवस्थित रूप से अभिव्यक्त करना भी सिखाती है। इसके द्वारा छात्रों में स्वतंत्र रूप से अध्ययन करने की आदत का विकास होता है।

(5) वाद-विवाद पद्धति के द्वारा छात्रों की तर्क-शक्ति एवं निर्णय शक्ति का विकास होता है।

(6) नागरिकशास्त्र शिक्षण की वाद-विवाद पद्धति व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर निर्भर है।

(7) नागरिकशास्त्र शिक्षण की वाद-विवाद पद्धति के द्वारा छात्रों में सहयोगितापूर्ण प्रतियोगिता का विकास होता है।

वाद-विवाद पद्धति के दोष (Demerits of Discussion Method)—नागरिकशास्त्र शिक्षण में वाद-विवाद पद्धति के अपने गुण हैं परन्तु इसके साथ ही उसमें कुछ दोषों के भी दर्शन होते हैं जिनका उल्लेख यहाँ संक्षेप में किया जा रहा है :—

(1) नागरिकशास्त्र शिक्षण में इस पद्धति के प्रयोग में विवाद में बहुत समय व्यर्थ ही नष्ट होता है। जो बात आधे घण्टे में बतलाई जा सकती है उसे समझाने के लिये दो ढाई घण्टे की आवश्यकता होती है। अध्ययन करने के लिए इतने अधिक समय की आवश्यकता होती है कि यदि वाद-विवाद पद्धति से समस्त पाठों का शिक्षण प्रदान किया जाय तो पाठ्यक्रम कभी पूरा नहीं हो सकेगा।

नागरिकशास्त्र विषय एक ऐसा विषय है कि उसके प्रत्येक पाठ पर वाद-विवाद नहीं किया जा सकता। अतएव इस पद्धति का बहुत बड़ा दोष यह है कि इसके द्वारा सम्पूर्ण विषय-वस्तु का अध्ययन सम्भव नहीं है।

(2) बहुधा यह देखा जाता है कि छात्र वाद-विवाद पद्धति में बेकार के लिए निरर्थक बातों में फँस जाते हैं और वे मूल विषय से हट जाते हैं। इनका परिणाम यह होता है कि व्यर्थ ही बहुत सा समय चला जाता है और छात्र मूल विषय को सीख ही नहीं पाते हैं।

(3) भारत में ऐसे कुशल और योग्य नागरिकशास्त्र के अध्यापकों का अभाव है जो अत्यन्त दक्षतापूर्वक वाद-विवाद का संचालन कर सकें। यदि अध्यापक दक्ष

Scanned with CamScanner

नहीं होगा तो बालक मूल विषय से हट जायेंगे और बेकार की बातों में वाद-विवाद करने लगेंगे। सभी शिक्षक कुशलतापूर्वक वाद-विवाद पद्धति का सफलता-पूर्वक संचालन नहीं कर सकते।

(4) लज्जाशील और मन्द बुद्धि वाले बालकों के लिए नागरिकशास्त्र की वाद-विवाद पद्धति बेकार सिद्ध होती है। छात्र लज्जाशील होते हैं वे वाद-विवाद में भाग लेना पसन्द नहीं करते। साथ ही मन्द बुद्धि वाले बालक यह सोचकर कि कहीं वाद-विवाद में वे बेकार की बातें न कह जायं, वाद-विवाद में भाग नहीं लेते।

(5) छोटी कक्षाओं में यह शिक्षण पद्धति उचित प्रतीत नहीं होती। छोटी कक्षाओं के बालक वाद-विवाद में भाग नहीं ले सकते अतएव उच्च कक्षाओं में नागरिकशास्त्र के शिक्षण के लिये इस पद्धति का प्रयोग किया जाता है।

वाद-विवाद पद्धति के सम्बन्ध में कुछ सुझाव—नागरिकशास्त्र शिक्षण में वाद-विवाद पद्धति उच्च कक्षाओं में उपयोगी सिद्ध होती है परन्तु इसके लिए आवश्यकता है कि कुछ बातों का ध्यान रखा जाय :—

(1) वाद-विवाद को प्रारम्भ कराने से पहले जिस वस्तु पर वाद-विवाद कराना है उसके सम्बन्ध में भली-भाँति विचार कर लेना चाहिये और समस्या का ज्ञान ठीक प्रकार से कर लिया जाना चाहिए।

(2) इस बात का ध्यान रखा जाय कि नागरिकशास्त्र के किसी विषय पर वाद-विवाद करने के पहले छात्र उस विषय को स्वयं भली-भाँति समझ लें। इसके हेतु उन्हें विषय से सम्बन्धित पर्याप्त सामग्री पढ़ने के लिये दी जानी चाहिये। वह उस सामग्री को पढ़कर अपने विचारों को स्पष्ट करेंगे और फिर आपसी विवाद के द्वारा विषय के सम्बन्ध में सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे।

(3) वाद-विवाद का संचालन नियमानुसार किया जाना चाहिये। नागरिक-शास्त्र के अध्यापक को वाद-विवाद के समय सदैव इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि छात्र कहीं मूल विषय से विलग न हो जाय। जैसे ही वह मूल विषय से अलग हटे वैसे ही अध्यापक को उनको बोलने से रोक देना चाहिये। निरर्थक और असम्बन्धित वाद-विवाद को अत्यन्त चतुरतापूर्वक रोक दिया जाना चाहिये।

(4) नागरिकशास्त्र शिक्षण में वाद-विवाद पद्धति का प्रयोग करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि सभी छात्रों को अपने विचार प्रकट करने का अवसर मिले। बहुधा यह देखा जाता है कि तेज और अधिक बोलने वाले छात्र वाद-विवाद में अधिक भाग लेते हैं और लज्जाशील एवं कमजोर छात्र उसमें भाग लेने से हिचकिचाते हैं। इस स्थिति में लज्जाशील और कमजोर छात्रों को वाद-विवाद में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिये और अधिक बोलने वाले छात्रों पर नियन्त्रण रखा जाना चाहिये।

Scanned with CamScanner